संख्या-373/2023/3566/22-2-2022-17(751)/2019

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 15 जून, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश पुत्र श्री साहब सिंह, निवासी जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-34619/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-14.09.2022) दिनांक-02.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश पुत्र श्री साहब सिंह, ग्राम, कोटरा थाना-नंगला खंगर, जिला-फिरोजाबाद का निवासी है। वादी के पुत्र का अपहरण के बदले रूपये पॉच लाख इक्यावन हजार फिरौती वसूलने को लेकर दिनांक 18.06.2006 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर महेश उर्फ टिन्कू का अपहरण कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-32/2007, में भा0द0वि0 की धारा-364ए में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, (द0प्र0क्षे0) आगरा के आदेश दिनांक 23.01.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) सत्र परीक्षण संख्या-279/07, में भा0द0वि0 की धारा-307/34 व 25 ए0एक्ट में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं0-05, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 29.01.2008 द्वारा 07 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.09.2022 तक 16 वर्ष, 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 09 माह, 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी शातिर किस्म का अपराधी होने व कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नही किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादी के पुत्र का अपहरण के बदले रूपये पॉच लाख इक्यावन हजार फिरौती वसूलने को लेकर दिनांक 18.06.2006 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर महेश उर्फ टिन्कू का अपहरण करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के शातिर किस्म का अपराधी होने, बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राकेश पुत्र श्री साहब सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश (बन्दी संख्या-15821) पुत्र श्री साहब सिंह, निवासी जनपद-फिरोजाबाद के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-373/2023/3566(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को रिट याचिका सं0-336/2019 रसीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-373/2023/3566/22-2-2022-17(751)/2019

दिनांक 15 जून, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश पुत्र श्री साहब सिंह, ग्राम, कोटरा थाना-नंगला खंगर, जिला-फिरोजाबाद का निवासी है। वादी के पुत्र का अपहरण के बदले रूपये पॉच लाख इक्यावन हजार फिरौती वसूलने को लेकर दिनांक 18.06.2006 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर महेश उर्फ टिन्कू का अपहरण कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-32/2007, में भा0द0वि0 की धारा-364ए में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, (द0प्र0क्षे0) आगरा के आदेश दिनांक 23.01.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) सत्र परीक्षण संख्या-279/07, में भा0द0वि0 की धारा-307/34 व 25 ए0एक्ट में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं0-05, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 29.01.2008 द्वारा 07 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.09.2022 तक 16 वर्ष, 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 09 माह, 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी शातिर किस्म का अपराधी होने व कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नही किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादी के पुत्र का अपहरण के बदले रूपये पॉच लाख इक्यावन हजार फिरौती वसूलने को लेकर दिनांक 18.06.2006 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर महेश उर्फ टिन्कू का अपहरण करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के शातिर किस्म का अपराधी होने, बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राकेश पुत्र श्री साहब सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।